

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

13 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018

तारीख दायरा

08.02.2018

तारीख निर्णय

16.02.2023

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1—श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन जाति सिन्धी निवासी श्रीराम कॉलोनी बडी के मन्दिर के पास निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
- 2—मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
- 3—श्री प्रफुल्ल गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 19, रघु पथ, श्रीराम नगर 2, झोटवाडा जयपुर राज. नॉमिनी मैसर्स एस.एन. मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि.22, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बायपास रोड जयपुर राज. /अजरोई रोड, सासनी जिला हाथरस उत्तरप्रदेश
- 4—मैसर्स एस.एन. मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि.22, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बायपास रोड जयपुर राज. /अजरोई रोड, सासनी जिला हाथरस उत्तरप्रदेश

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विक्रम जैन उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 16.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2017 को समय 01:30 पी.एम पर सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ घी (माधव) के 100 एमएल के 140 पैकेट रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सुरेश चन्द जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर



करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह घी (माधव) जिसके बैच नम्बर/लोट नं. 32 व पैकिंग की दिनांक अगस्त 2017 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है. 4 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (माधव) के एक-एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1765 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1765 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिल चाहे जाने पर श्री सुरेश चन्द जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स एस.एन. मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि.22, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बायपास रोड जयपुर राज./अजरोई रोड, सासनी जिला हाथरस उत्तरप्रदेश का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4593 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./692/एक्ट/2017/690 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गय घी (माधव) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

उक्त जाँच रिपोर्ट के विरुद्ध मैसर्स एस.एन. मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि.22, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बायपास रोड जयपुर द्वारा पुनः नमूना जाँच हेतु अपील दायर करने पर नमूना निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर में जाँच हेतु भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/18/147 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक

रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए (591एफ) /2017 दिनांक 11.01.2018 के अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घी (माधव) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (माधव) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव वरुण मीना)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
टांक  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टांक-राज0